Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 145-2026/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026 (BHADRA 31, 1948 SAKA)

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 सितम्बर, 2026

संख्या 8/01–2019 तम(3).– हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019 (2019 का 13) की धारा 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा नियम, 2026 कहे जा सकते है। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, – परिभाषाएँ।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019 (2019 का 13) समय–समय पर संशोधन;

(ख) ''अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, अवकाश प्रदान करने हेतु तत्समान नियमित शिक्षक का सक्षम प्राधिकारी;

(ग) ''विद्यालय का मुखिया'' से अभिप्राय है, संबंधित विद्यालय का प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक;

(घ) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्राय है, स्नातकोत्तर अतिथि शिक्षकों के मामले में महानिदेशक/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा तथा स्नातकोत्तर अतिथि शिक्षकों से भिन्न शिक्षकों के मामले में महानिदेशक/निदेशक, मौलिक शिक्षा;

(ङ) ''दंड प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, तत्समान नियमित शिक्षक का दंड प्राधिकारी।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

3. अतिथि शिक्षकों का स्थानांतरण, समय–समय पर, सरकार द्वारा यथा संशोधित 'शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2026' के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा। स्थानांतरण।

अवकाश।

4. (1) अतिथि शिक्षक (पुरूष), एक कैलेंडर वर्ष में दस दिनों के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता:

परंतु किसी कैलेंडर वर्ष, जिसमें वह सेवानिवृत्त हो रहा है, को आकस्मिक अवकाश निम्नानुसार अनुज्ञेय होंगे:—

क्रम संख्या	अवधि, जिसके दौरान वह सेवानिवृत्त हो रहा है	आकस्मिक अवकाश के दिनों की संख्या
1	2	3
1	30 जून से पूर्व	05
2	30 जून के बाद	10

(2) अतिथि शिक्षक (महिला), एक कैलेंडर वर्ष में बाईस दिनों के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगी। तथापि, अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता:

परंतु किसी कैलेंडर वर्ष, जिसमें वह सेवानिवृत्त हो रही है, को आकस्मिक अवकाश निम्नानुसार अनुज्ञेय होंगे:—

क्रम संख्या	अवधि, जिसके दौरान वह सेवानिवृत्त हो रही है	आकस्मिक अवकाश के दिनों की संख्या
1	2	3
1	30 जून से पूर्व	11
2	30 जून के बाद	22

(3) अतिथि शिक्षक (पुरूष) को अपने दो बड़े जीवित बालकों के लिए उसकी पत्नी के प्रसव के दौरान या एक वर्ष से कम के बालक के वैध दतकग्रहण की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है। यह अवकाश बालक के प्रसूति से पंद्रह दिन पूर्व या प्रसूति की तिथि से छह मास तक की अवधि के दौरान लिया जा सकता है। ऐसे अवकाश के दौरान आने वाली मान्यताप्राप्त छुट्टियों तथा रविवार को भी पितृत्व अवकाश के रूप में समझा जाएगा। यदि पितृत्व अवकाश विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं लिया जाता है, तो ऐसे अवकाश को समाप्त समझा जाएगा।

(4) (क) केवल अठारह वर्ष की आयु तक के अपने दो बड़े जीवित बालकों की देखरेख के लिए सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान अधिकतम दो वर्ष (अर्थात् 730 दिन) की अवधि के लिए अतिथि शिक्षक (महिला) तथा/या एकल अतिथि शिक्षक (पुरुष) को बालक देखरेख अवकाश अनुज्ञेय होगा, जो बिना वेतन के आधार पर होगा, तथापि, ऐसे अवकाश को सेवा में किसी ब्रेक के रूप में नहीं समझा जाएगा:

परन्तु अठारह वर्ष से कम आयु की शर्त, दिव्यांग बालकों पर लागू नहीं होगी, यदि—

(i) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अशक्तता प्रमाण—पत्र के अनुसार अशक्तता साठ प्रतिशत से अधिक है; तथा

(ii) दिव्यांग बालक पूर्ण रूप से अतिथि शिक्षक (महिला) तथा/या एकल अतिथि शिक्षक (पुरूष), जैसी भी स्थिति हो, पर पूर्ण रूप से आश्रित है।

(ख) बालक देखरेख अवकाश की अधिकार के रूप में मांग नहीं की जाएगी और कोई भी किसी भी परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व उचित स्वीकृति के बिना बालक देखरेख अवकाश पर नहीं जाएगा।

(ग) यह अवकाश तीस दिन से कम की अवधि के लिए नहीं लिया जा सकेगा।

(5) (1) असाधारण अवकाश, एक अतिथि शिक्षक को विशेष परिस्थितियों में 240 दिन तक प्रदान की जा सकती है, अगर पुरूष/महिला निम्नलिखित परिस्थितियों के मद्दयनजर लिखित में आवेदन करें;

(क) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सा प्रमाण पत्र पर, अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र की स्वीकृति के अधीनय; और

(ख) जनहित में सरकार द्वारा प्रमाणित उच्च अध्ययन/प्रशिक्षण के उद्देश्य से;

(ग) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर, यदि प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अंतर्निहित परिस्थितियाँ या अपरिहार्य स्थिति में।

(2) असाधारण अवकाश की अवधि के दौरान, कोई अवकाश वेतन देय नहीं होगा और असाधारण अवकाश की अवधि को किसी भी उद्देश्य के लिए अर्हक सेवा नहीं माना जाएगा।

(3) किसी अतिथि शिक्षक को असाधारण अवकाश नहीं दिया जाएगा जिसे सक्षम अधिकारी ने सेवा से हटाने का निर्णय लिया है।

(4) विभागाध्यक्ष अतिथि शिक्षक को असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं।

5. विदेश यात्रा की अनुमति, समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अधीन केवल ग्रीष्मावकाश के दौरान विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान की जाएगी। विदेश यात्रा हेतु अनुमति।

6. अतिथि शिक्षक के अनुशासन, लघु शास्तियों और अपीलों से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में, लघु शास्तियां अधिरोपित करने हेतु समुचित प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, तत्समान नियमित शिक्षकों के समरूप प्राधिकारी होंगे। लघु शास्तियां इन नियमों से सलंग्न परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी। अतिथि शिक्षक, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 द्वारा भी शासित होंगे। अनुशासन, शास्ति और अपील।

7. प्रत्येक अतिथि शिक्षक, मास, जिसमें वह अठावन वर्ष की आयु पूर्ण करता है, के अंतिम दिन को दोपहर बाद सेवा से सेवानिवृत्त होगा। तथापि, जिस अतिथि शिक्षक की जन्मतिथि मास की प्रथम तिथि है, विहित आयु पूरी करने पर पिछले मास के अंतिम दिन को दोपहर बाद सेवा से सेवानिवृत्त होगा। अधिवर्षिता।

8. यदि सेवा के दौरान किसी भी समय, कोई भी, अतिथि शिक्षक, जो त्यागपत्र देना चाहता है, तो उसे एक मास का नोटिस देना अपेक्षित होगा और तुरंत त्यागपत्र के मामले में, उसके द्वारा एक मास के नोटिस के बदले में एक मास का वेतन जमा करवाना आवश्यक होगा। त्यागपत्र।

9. अतिथि शिक्षक की सेवा पुस्तिका समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति में अनुरक्षित की जाएगी। सेवा पुस्तिका।

10. इन नियमों का निर्वचन तथा संशोधन करने की शक्ति सरकार के पास होगी, उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा। निर्वचन तथा संशोधन की शक्ति।

11. जहां सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो यह आदेश द्वारा, लिखित में लिपिबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अतिथि शिक्षक के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है। छूट देने की शक्ति।

12. सरकार द्वारा, समय–समय पर, सेवा शर्तों के सम्बन्ध में जारी किए गए सभी पूर्व अनुदेश, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं: निरसन तथा व्यावृत्ति।

परंतु इस प्रकार निरसित अनुदेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट

(देखिए नियम 6)

क्रम संख्या	**पदनाम**	**नियुक्ति प्राधिकारी तथा शास्ति अधिरोपित करने हेतु सशक्त प्राधिकारी**	**अपील प्राधिकारी**	**शास्ति का स्वरूप**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अतिथि शिक्षक	तत्समान नियमित शिक्षक का नियुक्ति तथा दंड प्राधिकारी	तत्समान नियमित शिक्षक का अपील प्राधिकारी	**लघु शास्तियां:–** (i) चेतावनी का उल्लेख निजी मिसल में किया जाएगा; (ii) निंदा; (iii) लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन के कारण हुए किसी भी आर्थिक नुकसान की पूर्ति या आंशिक भरपाई वेतन से की जाएगी। यह नुकसान केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, या ऐसी किसी कंपनी तथा व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, जिसका स्वामित्व या नियंत्रण पूर्णतः या अंशतः सरकार या संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण के पास हो।

विजय सिंह दहिया,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd September, 2026

No. 8/01-2019 Co(3).- In exercise of the powers conferred under section 9 of the Haryana Guest Teachers Service Act, 2019 (13 of 2019), the Governor of Haryana hereby makes the following rules namely:-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Haryana Guest Teachers Service Rules, 2026.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means The Haryana Guest Teachers Service Act, 2019 (Act. No. 16 of 2019) as amended from time to time;

(b) "authority competent to grant leave" means the authority of the corresponding regular teacher competent to grant leave;

(c) "Head of the School" means the Principal or the Headmaster of the concerned school;

(d) "Head of the Department" means Director/Director General, Secondary Education in case of post graduate guest teacher and Director/Director General, Elementary Education in case of other than the post graduate guest teacher;

(e) "punishing authority" means the punishing authority of the corresponding regular teacher.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them under the Act.

Transfer.

3. The transfer of guest teacher shall be made as per provisions in the "Teacher Transfer Policy, 2026" as amended by the Government from time to time.

Leave.

4. (1) A guest teacher (male) shall be entitled for ten days casual leave during a calendar year. However, leave cannot be claimed as a matter of right:

Provided that casual leave to a guest teacher (male) during the calendar year in which he is to be retired shall be admissible under:-

Serial Number	If he is retiring-	Number of days of casual leave
1	2	3
1	Before 30th June	5
2	After 30th June	10

(2) A guest teacher (female) shall be entitled for twenty two days casual leave during a calendar year. However, leave cannot be claimed as a matter of right:

Provided that casual leave to a guest teacher (female) during the calendar year in which she is to be retired shall be admissible as under:-

Serial Number	If he is retiring-	Number of days of casual leave
1	2	3
1	Before 30th June	11
2	After 30th June	22

(3) A guest teacher (male) upto two surviving children may be granted paternity leave by the authority competent to grant leave for a period of fifteen days during the confinement of his wife or from the date of valid adoption of a child of less than one year. This leave can be availed during fifteen days before or upto six months from the date of delivery of the child. The recognized holidays and sunday falling during such leave shall also be treated as paternity leave. If paternity leave is not availed of within the specified period, such leave shall be treated as lapsed.

(4) (a) Child Care Leave shall be admissible to a guest teacher (female) and/or single male guest teacher for a maximum period of two years (i.e. 730 days) during the entire service for taking care of her/his two eldest surviving children upto the age of eighteen years only, which shall be on without pay basis, however, such leave shall not be treated as break in service:

Provided further that condition of less than eighteen years shall not be applicable to the Divyang Child, if-

(i) impairment is more than sixty percent as per the impairment certificate issued by the competent authority; and

(ii) divyang child is completely dependent on the female guest teacher and/or male guest teacher, as the case may be.

(b) Child Care leave shall not be demanded as a matter of right and no one can, under any circumstances, proceed on child care leave without prior proper sanction the leave by the competent authority.

(c) This leave may not be availed for a spell less than thirty days.

(5) (1) Extra Ordinary Leave upto 240 days may be granted to a guest teacher in special circumstances, if he/she applies in writing for the grant of extra ordinary leave mentioned as under:

(i) On medical certificate signed by the competent medical authority subject to acceptance of medical certificate by the leave sanctioning authority; and

(ii) for the purpose of higher studies/training to be certified by government in public interest.

(iii) at the discretion of the competent authority, if authority satisfied, that the underlying circumstances are unavoidable.

(2) During the period of extraordinary leave, no leave salary shall be admissible and the period of extraordinary leave shall not be treated as qualifying service for any purposes.

(3) Leave shall not be granted to a guest teacher whom a competent authority has decided to remove from service.

(4) Head of Department is competent to sanction extra ordinary leave to the guest teacher.

5. The permission to visit abroad shall be during the summer vacation only which shall be granted by the Head of the Department subject to the instructions issued by the State Government from time to time. Permission to visit abroad.

6. In respect of matters relating to discipline, minor penalties and appeal, the appropriate authority and appellate authority shall be the same authority of the corresponding regular teacher. The minor penalties shall be such as specified in Appendix appended to these rules. The guest teacher shall also be governed by the Haryana Civil Services (Government Employees Conduct) Rules, 2016. Discipline, minor penalty and appeal.

7. Every guest teacher shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty eight years, however, whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month. Superannuation.

8. If at any time during the service, any guest teacher who intends to resign, he shall be required to give one month's notice and in case of immediate resignation, he shall be required to deposit one month's salary in lieu of one month notice. Resignation.

9. The service book of a guest teacher shall be maintained in the manner as specified by the State Government from time to time. Service book.

10. The power to interpret and amend these rules shall lie with the Government, whose decision thereon shall be final. Power to interpret and amend.

11. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of guest teacher. Power to relax.

12. All previous instructions issued with regard to the service conditions by the Government from time to time are hereby repealed. Repeal and savings.

Provided that anything done or action taken under the instructions so repealed shall be deemed to have been made for taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX

(see rule 6)

Sr. No.	Designation of Posts	Appointing authority and authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Nature of penalty
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Guest Teacher	Appointing and punishing authority of the corresponding regular teacher	Appellate authority of the corresponding regular teacher	**Minor penalties:-** (i) warning to be recorded in personal file; (ii) censure; (iii) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to be a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority set up by an Act of Parliament or of the legislature of a State.

VIJAY SINGH DAHIYA,
Principal Secretary To Government Haryana,
School Education Department

12866—C.S.—H.G.P., Pkl.